क्रम–संख्या–161

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 14 अगस्त, 2017

श्रावण 23, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1546 / 79–वि०–1–17–1(क)4-2017

लखनऊ, 14 अगस्त, 2017

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2017, पर दिनांक 14 अगस्त, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2017) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2017

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2017]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अडसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2017 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 3 में,

(क) उपधारा (8) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात :–

"परन्तु कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य इस रूप में निम्नलिखित आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा :–

(क) अध्यक्ष के मामले में पैंसठ वर्ष की आयु और

(ख) उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के मामले में बासठ वर्ष की आयु।"

(ख) उपधारा (8–ख) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :–

"(8–ग) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा यथा संशोधित उपधारा (8) के उपबंध, उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने पर पदधारण करने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य पर भी लागू होंगे।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976), उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त लोक सेवकों के सेवायोजन से सम्बंधित विषयों के संदर्भ मे विवादों का न्याय निर्णयन करने के निमित्त अधिकरण के गठन की व्यवस्था करने के लिए, अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (8) के परन्तुक में यह प्राविधान है कि अध्यक्ष, सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा और कोई सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा। अन्य प्रतिभाशाली अधिकारियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, जिससे कि अधिकरण की कार्य-प्रणाली में दक्षता सुनिश्चित की जा सके, यह विनिश्चय किया गया है कि अधिकतम आयु में कटौती करके अध्यक्ष का पद धारण करने हेतु सत्तर वर्ष से पैंसठ वर्ष करने और उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का पद धारण करने हेतु पैंसठ वर्ष से बासठ वर्ष करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,

प्रमुख सचिव।

No. 1546(2)/LXXIX-V-1–17-1(ka)4-2017

Dated Lucknow, August 14, 2017

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Adhikaran) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2017) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 14, 2017:-

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (TRIBUNAL) (AMENDMENT) ACT, 2017

[U.P. Act No. 4 of 2017]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 2017.

Amendment of section-3 of U.P. Act no. 17 of 1976

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976,–

(a) in sub-section (8), for the existing proviso the following proviso shall be *substituted*, namely :–

"Provided that no Chairman, Vice-Chairman or member shall hold office as such after he has attained,–

(a) in the case of Chairman, the age of sixty five years, and

(b) in the case of Vice-Chairman or a member, the age of sixty-two years."

(b) after sub-section (8-b) the following sub-section shall be *inserted*, namely :–

"(8-c) The provisions of sub-section (8) as amended by the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 2017 shall apply also to the Chairman, Vice-Chairman, or a member holding office on the commencement of the said Act."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976 (U.P. Act no. 17 of 1976) has been enacted to provide for the constitution of a tribunal to adjudicate disputes in respect of matters relating to employment of all public servants of the State of Uttar Pradesh. Proviso to sub-section (8) of section 3 of the said Act provides that the chairman shall not hold office after attaining the age of seventy years and a member shall not hold office after attaining the age of sixty five years. With a view to giving an opportunity to other talented officers so as to ensure efficiency in the working of the tribunal, it has been decided to amend the said Act to reduce the maximum age for holding office of the Chairman from seventy years to sixty-five years and vice-chairman and member from sixty-five years to sixty-two years.

The Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 240 राजपत्र (हि0)–2017–(780)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 73 सा0 विधायी–2017–(781)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।